अध्याय 2 (मैन्युअल - बी-xiii)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Partuculars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

विभाग में वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामवासियों को रियायती दर पर वनोपज उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निस्तार नीति लागू की गई है। पूर्व में निस्तार सुविधा दूर-दूर तक उन क्षेत्र में भी दी जाती रही थी, जहां वन नहीं थे। नई नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित परिवारों को ही दी जा रही है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिी के लिये सिरबोझ द्वारा गिरी - पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। वर्तमान निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2021 में निस्तार के तहत 19 लाख 52 हजार नग बांस, 8 हजार 600 नग बल्ली तथा 43 हजार 789 जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये हैं। निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/बसोड़ों को 9 करोड़ 02 लाख रूपये की रियायत दी गई।

बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। बसोड़ों के अलावा अन्य कई जनजाति के व्यक्ति भी परंपरागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार की मांग की पूर्ति का प्रयास प्रदेश में संचालित निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश के 1814 निस्तार डिपो में वनोपज एकत्र कर वितरित की जाती है। बसोड़ों को रायल्टी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है।